भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4893

सोमवार, 23 मार्च, 2026/02 चैत्र, 1948 (शक)

बिहार में रोजगार की स्थिति

4893. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोपालगंज सहित बिहार में वर्तमान बेरोजगारी दर का जिलेवार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त राज्य में युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त राज्य में रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(ड) उक्त राज्य में रोजगार योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, बिहार राज्य में (गोपालगंज सहित) 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 7.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.0% हो गई है। इसी अवधि में, बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित यूआर वर्ष 2017-18 में 6.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 2.6% हो गई है और शहरी क्षेत्रों में यह 9.0% से घटकर 7.3% हो गई है। पीएलएफएस रिपोर्ट में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश में (बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित) विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश (बिहार सहित) में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

सरकार, महिला कामगारों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों**,** राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई**)** ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए **'**फ्यूचर स्किल्स प्राइम**'** कार्यक्रम शुरू किया है।

विधायी सुधारों के एक हिस्से के रूप में, केंद्रीय क्षेत्र में मौजूदा 29 अधिनियमों को चार संहिताओं अर्थात वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 में शामिल किया गया है। इन संहिताओं को दिनांक 21 नवंबर, 2025 से कार्यान्वित किया गया है। इन संहिताओं का उद्देश्य सरलीकरण, युक्तिकरण और अनुपालन भार में कमी के माध्यम से व्यापार करना आसान बनाना है ताकि प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित किया जा सके। इन श्रम संहिताओं में देश में (बिहार सहित) महिला श्रम बल की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान हैं।

सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के मुद्दे का समाधान करने के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। परिणामस्वरूप, भारत, एक नए भारत के दृष्टिकोण के साथ महिलाओं के विकास से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में तेजी से परिवर्तन देख रहा है, जहां महिलाएं तेज गति और सतत राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****